रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2016] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 20, 2017/आषाढ़ 29, 1939
No. 2016] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 2017/ASADHA 29, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2017

का.आ. 2274**(अ).**—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित की जाती है; यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर और उत्तर-पश्चिम में तवी नदी, दक्षिण-पूर्व में उधमपुर रोड, उत्तर-पश्चिम में सुरीनसार झील और दक्षिण-पूर्व में मनसार झील के बीच 97.82 किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित है और अभयारण्य तीन जिले अर्थात् जम्मू, उधमपुर और सांबा तक फैला हुआ है और अभयारण्य का मुख्य भाग जम्मू जिला में है ;

और, तवी नदी का महत्वपूर्ण आवाह क्षेत्रों में से एक सुरीनसार रूप-विधान क्षेत्र है। अभयारण्य दो महत्वपूर्ण झीलों अर्थात् सुरीनसार और मनसार झीलों में अंतविष्ट है जिसे 8 नवंबर, 2005 को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया।

और, सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवजन्तु के समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह स्तनधारियों का आवास है जैसे सामान्य तेंदुआ (*पेंथेरा* पार्डस), मुंजक *(मुनटीकस मुनटजक)*, नीलगाय *(बोसेलाफस टरागोकमेलुस)*, गोरल *(नेमोरामदुस गोरला)*, बनैला सूअर (*सस स्क्रोफा*), सियार *(कनिस अयरेअस)*, खरगोश *(लेफुस नीगरीकोल्लीस)*, बनबिलार *(फेलिस चौआ)*, साही *(हयस्ट्रीक्स इंडिका)*, नेवला (*हपेस्टेस एडवर्डिस),* इसके अलावा अभयारण्य में कई पक्षी-जीव प्रजातियों का आवास है; मटरमुर्गा *(पावो करीस्ट्रेटस),* लाल जंगली मुर्गी *(गल्लस गल्लस),* काला तीतर *(फरानकोलीनअस फरानकोलीनअस),* ग्रे तीतर *(फरानकोलीनअस पोनदीकरअनस),* बुश क्विल *(परेदीकुलाटा असीटीका),* लाल कछुए कबूतर *(स्ट्रेपटोपेलीआ टरानक्युबेरिका),* ब्लू रॉक कबूतर *(कोलुमबो लिवीआ),* रिंग कबूतर *(स्ट्रेपटोपेलीआ केकाक्टो),* स्पॉट ओउलेट *(अथेना बरामा),* ब्लू जे *(कोराकीअस बेनघालेनसिस),* तोता *(पसट्टीअकोला साइनोकफेला),* होपे *(अपुप ऐपुपस),* कोयल *(इयुडयनमेस सकोलोपकेअ),* बेबलर *(तुरडोइडेस कुडाटुस)*।

और, इस क्षेत्र की वनस्पतियों में अकेसिआ कैटचु, लैनिया ग्रैंडिस, मल्लोटस फ़िलिपेन्सिस, कैसिया फ़िस्टुला, जिजिफस जुजुबे डालबर्गिया सिससो, एम्बिलिका ऑफिसिनलिंस, फ़िकस बेनगलेसिस, फिकस रेलीगीस, बौहिनी वारीगता, अधाटोडा, वास्सिका, डोडोना, वेस्कोसा और कैसिया ओपेका शामिल हैं ।

और, पारिस्थितिकीय, पर्यावरणीय और जैव विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरीनसार- मनसार वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र की चारों ओर के क्षेत्र(जिसके विस्तार और सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किया गया है) का परिक्षण और संरक्षण करना आवश्यक हो गया है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य में सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगभग 2128 हेक्टेयर के क्षेत्र को पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :—

(1) **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**.—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन रेंज जम्म, उधमपुर जिले और जम्मू-कश्मीर राज्य के साम्बा में सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के 0 मीटर (संरक्षित क्षेत्र के उत्तर और पूर्वोत्तर स्थल) से दक्षिण-पूर्व में तीन सौ बहत्तर मीटर (372 मीटर). दक्षिण में एक हजार तीन सौ पांच मीटर (1305) दक्षिण पश्चिम में एक हजार चार सौ तैंतालीस मीटर (1443 मीटर). पश्चिम में एक हजार छह सौ तिरसठ मीटर (1663 मीटर). और उत्तर पश्चिम सीमा में नौ सौ चालीस मीटर (940 मीटर). तक फैला हुआ है; उत्तर पश्चिम स्थल पर नंदिनी वन्यजीव अभयारण्य के साथ सम्मिलित सीमा का संरक्षित क्षेत्र और सीमा वर्णन **उपाबंध I** में उपलब्ध है ।

(2) सीमा ब्यौरे के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

(3) सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध हैं ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्र में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** पर दी गई है और पारिस्थितिक संवेदी जोन का निर्देशांक उपाबद्ध **V** पर दी गई है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.—(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आचंलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन;

(iii) नगर विकास;

(iv) पर्यटन;

(v) नगरपालिका;

(vi) राजस्व;

(vii) कृषि पर्यटन;

(viii) जम्मू- कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग पंचायती राज;

इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए होंगे।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान विधिक भू-उपयोग, विधिक अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और उक्त आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजाति क्षेत्रो, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडो, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में पारिस्थिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करते हुए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन के क्षेत्रों मँ आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 9,18, 28, 35, और 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना ;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पकार भी है; और

(v) हिम या वर्षा जल संचयन ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना को सम्मिलित किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रो में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिदेशों के अनुसार होगा पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटका के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय सुरीनसार-मनसार अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी संरक्षा और संरक्षण के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल —** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक सौंदर्यता और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारिख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या जम्मू-कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारणजल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट —** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** — पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** — परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे आंचलिक महायोजना के तैयार होने और अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यधीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापन्न विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय प्रतिषिद्ध नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन्न नहीं होगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होगी; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
3.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगो का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
4.	नए बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
7.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय

		पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से भीतर या उसकी सीमा तक जो भी निकटतम हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होगे। पंरतु, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे या उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरूप होंगे।
8.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) किसी किस्म का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण पारिस्थितिक संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या उसकी सीमा तक जो भी निकटतम हो अनुज्ञात नहीं होगा। परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत आंचलिक महायोजना के अनुसार पैरा 3 के उपपैरा(1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। परंतु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसे प्रदूषण को कम किया जाएगा। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर परे और उसकी सीमा तक वास्तविक स्थानीय निवासियों की आवश्यकता के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे
9.	पर्यटकों के अस्थायी उपजीविका के लिए, पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप के लिए पारिस्थितिक अनुकूल जैसे टेंट, काष्ठा, घर आदि।	लागू विधियों के अधीन प्रतिषिद्ध ।
10.	मलखान भूमि ।	नए मलखान भूमि की स्थापना करना प्रतिसिद्ध और पुरानी मलखान लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
11.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

12.	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
13.	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
14.	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में निर्धारित कार्य योजना का अनुपालन किया जाएगा।
16.	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	बिजली तारों को विद्युतरोधी बनाना।	भूमिगत केबल को बढावा देना ।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में नई सड़को का संनिर्माण और विद्यमाना सड़कों को चौड़ाकर या मरम्मत विनियमित होंगे और अल्पतम से किए जाएंगे ।
19.	होटलों और लॉजों के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा । वन्यजीव के स्वतंत्र विचरण को अनुज्ञात करने के उद्देश्य से पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर होटलों और अन्य वाणिज्यिक स्थापन कांटेदार तार से उनके स्वत्व पर बाडे नहीं होंगे और बाडें की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होंगे और यह अनुबंध का पालन कोई विद्यमान बाडे आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय के अनुसार उपांतरित नहीं होगा।
20.	प्लास्टिक थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	छोटे चारों का एकत्रण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

27.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाता जब तक 1 से 10 मीटर से अनधिक पहाड़ी ढालों और नालों के किनारे से 100 मीटर तक का भी भार अपने ऊपर नहीं लेगा।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरित प्रभाव नहीं डालते है, अनुज्ञात किए जाएंग।
29.	आरा मिलों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
31.	पर्यावरण पर्यटन।	पर्यावरण पर्यटन
	संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
36.	हिम या वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा |
38.	बागान और अन्य वानिकी क्रियाकलाप	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा |
39.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	
41.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
42.	सामुदायिक प्रकृति आरक्षित।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.—केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्

मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो:-

(i) संबद्ध उपायुक्त अध्यक्ष;

(ii)	गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) में कार्य कर रहा है, जिसे जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए	सदस्य;
(iii)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए	सदस्य;
(iv)	जम्मू-कश्मीर, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(v)	जिला भूमी और भूमी सुधार अधिकारी का प्रतिनिधी	
(vi)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(vii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, जम्मू कश्मीर सरकार	सदस्य;
(viii)	संबद्ध वन्यजीव वार्डन	सदस्य;
(ix)	संबद्ध प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटर समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इसके पैरा 4 के अधीन स्तंभ (3) की सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरूद्ध, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध VI** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/30/2016-ईएसजेड/आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं का वर्णन

सीमा	**विवरण**
उत्तर	तवी नदी
दक्षिण-पूर्व	बोटल-बिलौर रोड और मनसार झील
पूर्व	उधमपुर सांबा रोड और गोमहीर खद
दक्षिण-पश्चिम	सुरीनसार मनसार रोड
पूर्व-पश्चिम	तवी नदी और सुरीनसार झील

उपाबंध-II

सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

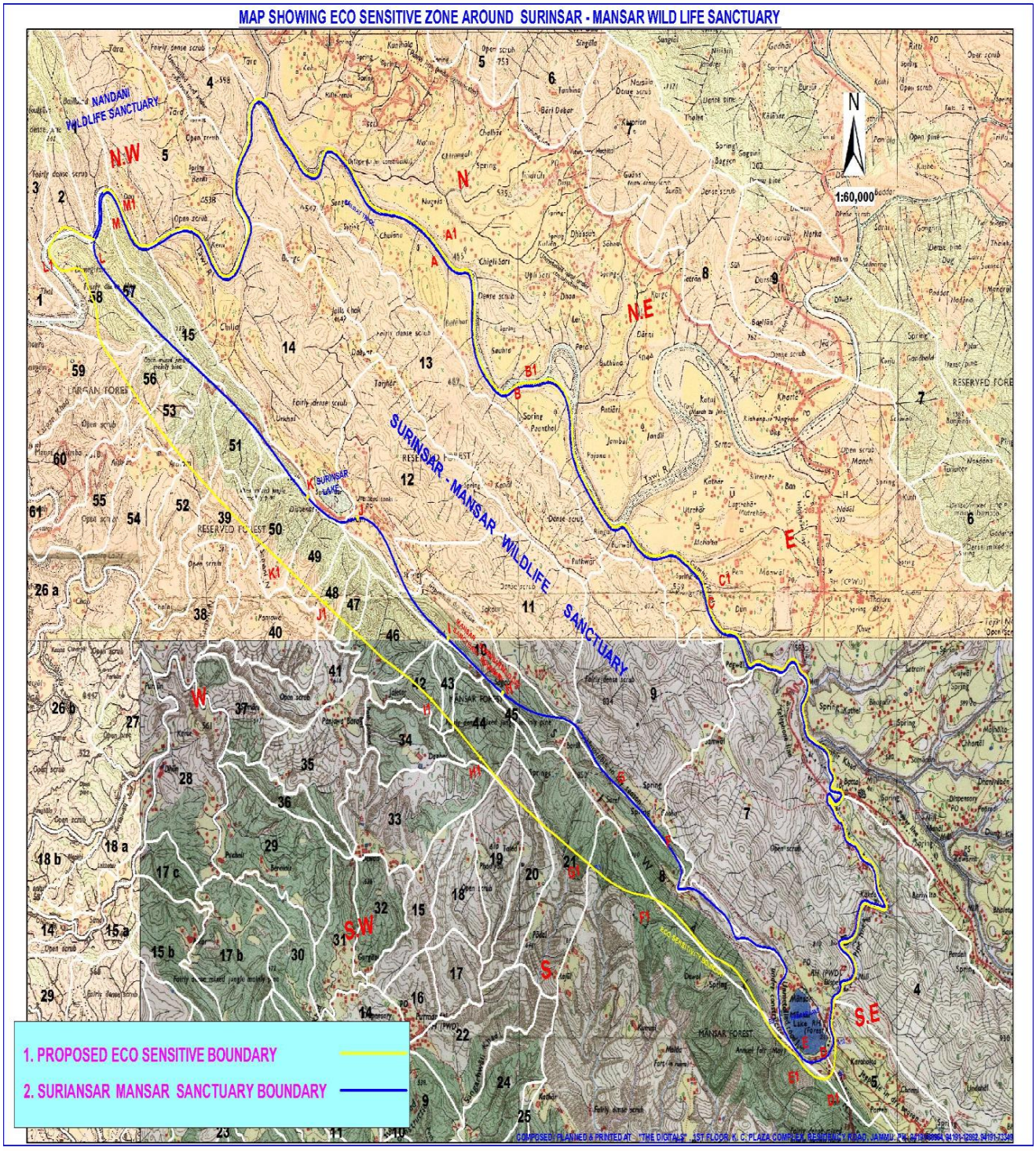

उपाबंध-III

सुरीनसार- मनसार वन्यजीव अभयारण्य के निर्देशांक

क्र.सं	बिंदु	दिशा	भू- निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	ए	उत्तर	32º47'51.78"उ	75º4'12.18"पू
2	बी	उत्तर- पूर्व	32º46'58.80" उ	75º5'26.40" पू
3	सी	पूर्व	32º45'58.80" उ	75º7'54.00" पू
4	डी	दक्षिण- पूर्व	32º41'32.53" उ	75º8'55.35" पू
5	ई	दक्षिण- पूर्व	32º41'33.46" उ	75º8'47.5" पू
6	एफ	दक्षिण	32º43’ 10.0" उ	75º 6’ 54.74" पू
7	जी	दक्षिण	32º43’37.8" उ	75º 6’ 15.70" पू
8	एच	दक्षिण- पश्चिम	32º44’41.7" उ	75º4’ 57.41" पू
9	आई	दक्षिण- पश्चिम	32º45’36.0" उ	75º 4’ 10.8" पू
10	जे	पश्चिम	32º46'3.05" उ	75º3'0.95" पू
11	के	पश्चिम	32º46'20.60" उ	75º2'8.10" पू
12	एल	उत्तर- पश्चिम	32º48'14.58" उ	74º59'18.60" पू
13	एम	उत्तर - पश्चिम	32º48'33.12" उ	74º59'31.98" पू

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	मनसार (अंशत:)	32º 42.151'उ	75º08.421'पू
2.	सराइल चुआ (अंशत:)	32º43.438'उ	75º06.434'पू
3.	बुपेन्द्रगढ़	32º41.386'उ	75º08.318'पू
4.	बरल	32º44.056'उ	75º05.616'पू
5.	सागौंन (अंशत:)	32º44.786'उ	75º04.766'पू
6.	सुरीनसार /जीथली(अंशत:)	32º45.836'उ	75º02.842'पू

उपाबंध-V

सुरीनसार- मनसार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक की सीमा

क्र. सं	अभयारण्य की सीमाओं के साथ दिशा	बिंदु	अभयारण्य सीमा से पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के मीटर में दूरी	भू- निर्देशांक		टिप्पियां
				अक्षांश	देशांतर	
1	उत्तर	ए1	अधिकतम दूरी = 00 मीटर	32º47'51.78"उ	75 º 4'12.18"पू	यह क्षेत्र पिछले कई पीढ़ियों से स्थायी आवास के अधीन है और पारिस्थितिक संवेदी जोन में कहा गया क्षेत्र नियमित कृषि और अन्य संबद्ध क्रियाकलापों को बाधित कर सकता है जिससे स्थानीय लोगों के आजीविका के साधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
			न्यूनतम दूरी = 00 मीटर			
2	उत्तर पूर्व	बी1	अधिकतम दूरी =00 मीटर	32º46'58.80" उ	75 º 5'26.40" पू	
			न्यूनतम दूरी =00 मीटर			
3	पूर्व	सी1	अधिकतम दूरी =00 मीटर	32º45'58.80" उ	75º7'54.00" पू	
			न्यूनतम दूरी =00 मीटर			
4	दक्षिण पूर्व	डी1	अधिकतम दूरी =372 मीटर	32º41'19.50" उ	75º8'57.84" पू	
		ई1	न्यूनतम दूरी = 162 मीटर	32º41'31.81" उ	75º8'46.26" पू	
5	दक्षिण	एफ1	न्यूनतम दूरी = 811 मीटर	32º41'31.81" उ	75º8'46.26" पू	
		जी1	अधिकतम दूरी = 1305 मीटर	32º43'7.58"' उ	75º5'33.94" पू	
6	दक्षिण-पश्चिम	एच1	अधिकतम दूरी = 1443 मीटर	32º44’2.42” उ	75º4’16.09” पू	
		आई1	न्यूनतम दूरी = 1363 मीटर	32º44’26.12” उ	75º3’37.05” पू	

7	पश्चिम	जे1	अधिकतम दूरी = 1663 मीटर	32º45'20.16" उ	75 º 2'21.48" पू	
		के1	न्यूनतम दूरी = 1140 मीटर	32º46'12.12" उ	75 º2'2.58" पू	
8	उत्तर पश्चिम	एल1	अधिकतम दूरी = 940 मीटर	32º48'14.70" उ	75º 58'41.94" पू	
		एम1	न्यूनतम दूरी = 00 मीटर	32º 30'099" उ	75º 22'069" पू	

उपाबंध-VI

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2017

S.O. 2274(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary with an area of 97.82 sq kms, is situated between river Tawi in the north and north-west, Udhampur road in south-east, Surinsar lake in the north - west and Mansar lake in south-east and the sanctuary is spread over three districts that is Jammu, Udhampur and Samba and the major part of the sanctuary fall in the Jammu district.

AND WHEREAS the area forms one of the important catchments of river Tawi. The sanctuary contains two important lakes that is Surinsar and Mansar lakes, which have been declared as Ramsar Sites on the 8th November, 2005.

AND WHEREAS**, the flora and fauna represent rich biological significance of the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary and it is habitat of mammals such as Common Leopard (*Panthera pardus)*, Barking deer *(Muntiacus muntejak)*, Nilgai *(Boselaphus tragocamelus)*, Goral *(Nemorhaedus goral)*, Wild Boar *(Sus scorfa)*, Jackal *(Canis aureus)*, Hare *(Lepus nigricollis)*, Jungle cat *(Felis chaua)*, Porcupine *(Hystrix indica)*, Mongoose (*Herpestes edwardis)*, besides the Wildlife sanctuary is inhabited by many avian species; Pea fowl *(Pavo cristatus)*, Red jungle fowl *(Gallus gallus)*, Black partridges *(Francolinus francolinus)*, Grey partridge *(Francolinus pondicerianus)*, Bush Quil *(Prediculata asiatica)*, Red Turtle Dove *(Streptopelia tranquebarica)*, Blue rock pigeon *(Columba livia)*, Ring Dove *(Streptopelia cecacto)*, Spotted Owlet *(Athena brama)*, Blue jay *(Coracias benghalensis)*, Parakeetes *(Psittacula cyanoocephala)*, Hoope *(Upup aepops)*, Koel *(Eudyanmys scolopacea)*, Bablers *(Turdoides caudatus)*.**

AND WHEREAS the flora of the region include Acacia catechu, Lannea grandis, Mallotus philipenesis, Cassia fistula, Zizyphus jujube Dalbergia sissoo, Emblica, officinalis, Ficus bengalensis, Ficus religiosa, Bauhinia varigata, Adhtoda, vassica, Dodonea , Vescosa and Cassia opaca.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area (the extent and boundries of which are specified in paragraph 1 of this notification) surrounding the protected area of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 2128 hectares around the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary in the State of Jammu and Kashmir as the Eco-sensitive Zone (hereinafter called as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)** The extent of Eco-sensitive Zone ranges from 0 meter (North and North-East side of the Protected Area) to three hundred and seventy two meters (372 m) from South-East, thirteen hundred and five meters (1305 m) from South, fourteen hundred and forty three meters (1443 m) from South-West, sixteen hundred and sixty three meters (1663 m) from West and nine hundred and forty meters (940 m) from North-West boundary of the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary in the District of Jammu, Udhampur and Samba of Jammu and Kashmir State; Protected Area shares boundary with Nandini Wildlife

Sanctuary on the North West Side and the boundary description is provided in Annexure-I.

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details is appended as Annexure-II.

(3) The co-ordinates of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-III.

(4) The list of villages falling in the in Eco-Sensitive Zone area is given at Annexure-IV and the Co-ordinates of Eco Sensitive Zone is appended at Annexure-V.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of the final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Jammu & Kashmir State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 9,18,28,35 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
(ii) widening and strengthening of existing roads;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village artisans; and
(v) Snow or rainwater harvesting:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution of India or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) New construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities;

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jammu and Kashmir State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jammu and Kashmir State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th of March, 2016 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units:-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	**Activity**	**Remarks**
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing

		for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
7.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
8.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:

		Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
9.	Eco- friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents wooden houses etc for eco- friendly tourism activites.	Regulated under applicable laws.
10	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground shall be prohibited and old trenching grounds shall be regulated under applicable laws.
11.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
12.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
13.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
14.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
16.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
17.	Insulation of electric lines.	To promote underground cabling.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Construction of new roads and widening or repair of existing roads in the Eco-sensitive Zone shall be regulated and done with minimal impacts.
19.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife,

		hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than 1 metre and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
20.	Use of plastic Bags.	Regulated under applicable laws.
21.	Collection of small fodder.	Regulated under applicable laws.
22.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
23.	Commercial use of natural water resource including ground water Harvesting.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
27.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity, unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 metres and also upto 100 metres from the banks of any river, and natural nallah.
28	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Setting up of saw mills.	Regulated under applicable laws**.**
30.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.

5.

34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
36.	Snow or rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
39.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Skill development.	Shall be actively promoted.
42.	Community nature reserve.	Shall be actively promoted.

Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise the following, namely:-

(i) Concerned Deputy Commissioner -Chairman;

(ii) One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a period of three years -Member;

(iii) One subject expert in the field of Ecology and Environment, nominated by Jammu and Kashmir Government for a period of three years -Member;

(iv) Representative of Jammu and Kashmir Pollution Control Board -Member;

(v) Representative of District Land & Land Reforms Officer -Member

(vi) Member of State Bio-diversity Board -Member;

(vii) Chief Wildlife Warden, Government of Jammu and Kashmir -Member;

(viii) Wildlife Warden Concerned -Member;

(ix) Divisional Forest Officer Concerned –Member Secretary

6. Terms of reference:- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and

referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per pro forma given in Annexure VI.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/30/2016-ESZ-RE]

LALIT KAPUR , Scientist 'G

Annexure-II

The boundaries description of Surinsar–Mansar Wildlife Sanctuary

Direction	Description
North	River Tawi
South-East	Bottal-Bilour road and Mansar lake.
East	Udhampur Samba road and Gomhir khad
South-West	Surinsar Mansar Road
North-West	River Tawi and Surinsar lake

Annexure-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

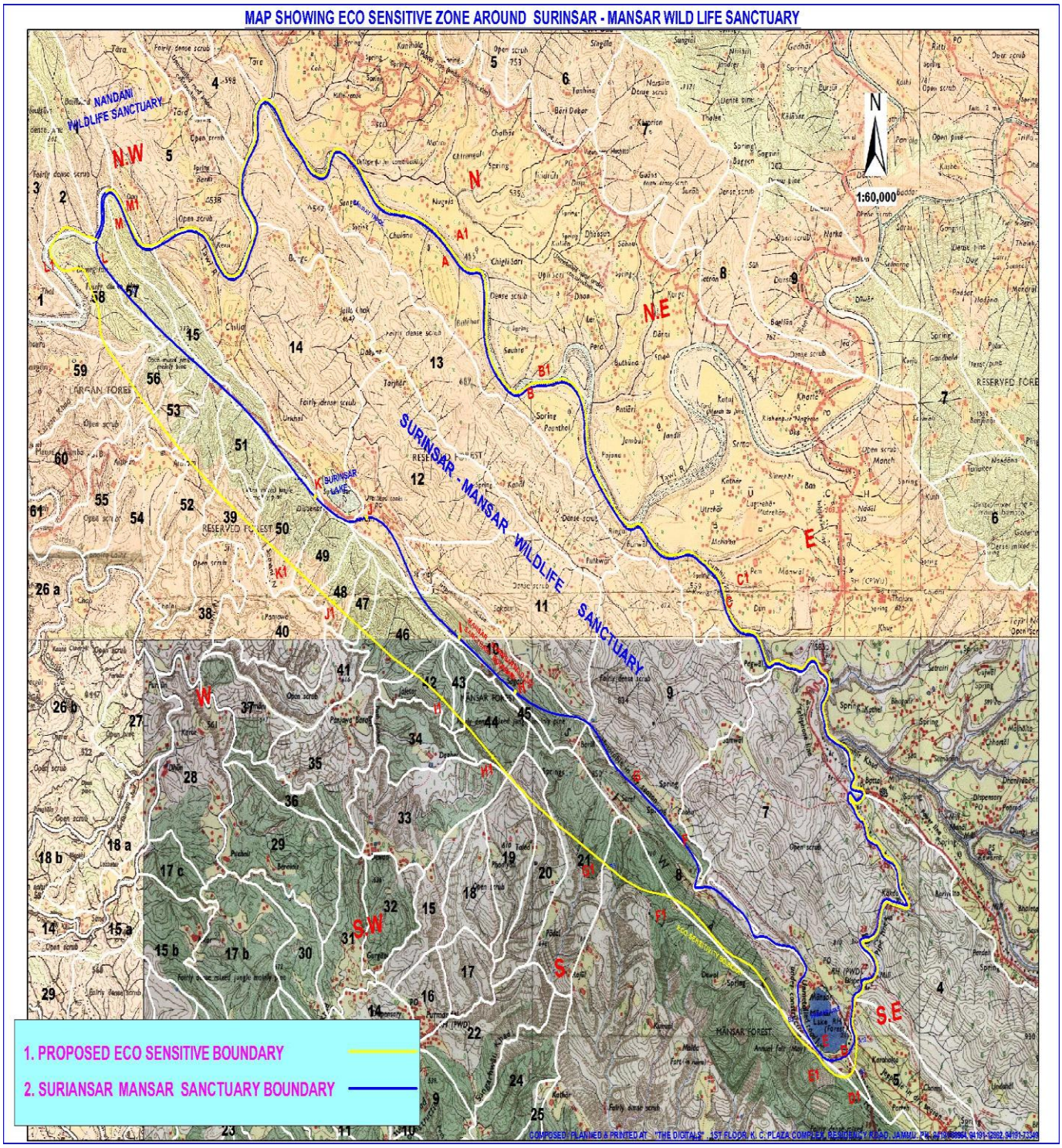

Annexure-III

COORDINATES OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No	Point	Direction	Geo-Coordinates	
			Latitude	**Longitude**
1	**A**	North	32º47'51.78"N	75º4'12.18"E
2	**B**	North- East	32º46'58.80"N	75º5'26.40"E
3	**C**	East	32º45'58.80"N	75º7'54.00"E
4	**D**	South- East	32º41'32.53"N	75º8'55.35"E
5	**E**	South- East	32º41'33.46"N	75º8'47.5"E
6	**F**	South	$32^0$43’ 10.0" N	75^0 6’ 54.74"E
7	**G**	South	$32^0$43’37.8" N	75^0 6’ 15.70"E
8	**H**	South-West	$32^0$44’41.7" N	$75^0$4’ 57.41"E
9	**I**	South-West	$32^0$45’36.0" N	75^0 4’ 10.8"E
10	**J**	West	32º46'3.05"N	75º3'0.95"E
11	**K**	West	32º46'20.60"N	75º2'8.10"E
12	**L**	North-West	32º48'14.58"N	74º59'18.60"E
13	**M**	North-West	32º48'33.12"N	74º59'31.98"E

Annexure-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER THE ECO SENSITIVE ZONE

S.No.	Name of village	Latitude	Longitude
1	Mansar (Partly)	32^0 42.151'N	$75^0$08.421'E
2	Srail Chua (Partly)	$32^0$43.438'N	$75^0$06.434'E
3	Bupnergarh	$32^0$41.386'N	$75^0$08.318'E
4	Bral	$32^0$44.056'N	$75^0$05.616'E
5	Sagoon (Partly)	$32^0$44.786'N	$75^0$04.766'E
6	Surinsar/Jaithly (partly)	$32^0$45.836'N	$75^0$02.842'E

Annexure-V

GEO-COORDINATES OF BOUNDARY OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Direction w.r. t boundaries of the Sanctuary	Point	Distance in meters of ECO-SENSITIVE ZONE from sanctuary boundary	Geo-Coordinates		Remarks
				Latitude	**Longitude**	
1	**North**	A1	Maximum. Distance=00 metres	32º47'51.78"N	75 º 4'12.18"E	*The area is under permanent habitation since past many generations and inclusion of said area in the Eco Sensitive Zone may*
			Minimum. Distance=00 metres			
		B1	Maximum	32º46'58.80"N	75 º 5'26.40"E	

2	**North East**		Distance=00 metres			*hinder the routine agricultural and other allied activities thereby adversely affecting the livelihood means of the local people.*
			Minimum Distance=00 metres			
3	**East**	C1	Maximum. Distance=00 metres	32º45'58.80"N	75º7'54.00"E	
			Minimum. Distance=00 metres			
4	**South East**	D1	Maximum. Distance=372 metres	32º41'19.50"N	75º8'57.84"E	
		E1	Minimum. Distance= 162 metres	32º41'31.81"N	75º8'46.26"E	
5	**South**	F1	Minimum. Distance= 811 metres	32º41'31.81"N	75º8'46.26"E	
		G1	Maximum. Distance= 1305 metres	32º43'7.58"'N	75º5'33.94"E	
6	**South-West**	H1	Maximum. Distance= 1443 metres	$32^0$44’2.42” N	$75^0$4’16.09” E	
		I1	Minimum. Distance= 1363 metres	$32^0$44’26.12”N	$75^0$3’37.05”E	
7	**West**	J1	Maximum. Distance= 1663 metres	32º45'20.16"N	75 º 2'21.48"E	
		K1	Minimum. Distance= 1140 metres	32º46'12.12"N	75 º2'2.58"E	
8	**North West**	L1	Maximum. Distance= 940 metres	32º48'14.70"N	75º 58'41.94"E	
		M1	Minimum. Distance= 00 metres	32º 30'099"N	75º 22'069"E	

Annexure-VI

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings;
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.

3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure;
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.24 12:17:48 +05'30'